

जिससे प्रथम इच्छा मामला एवं
सुविधा का सन्तुलन प्रतीति
में प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त निचे छात्रा सुधार
सं. एक के विरुद्ध इस आशय की
जारी की जाती है कि वे विवाहित
आ. 2907: 1958 तथा 0.0700,
1958 तथा 0.0700, 2983/1930
तथा 0.0300, 2985/2078, तथा
0.0300 का प्रथम दोष वादा कला
की विरुद्ध एवं मीठी की प्रमाणित
क्यापे 229, मालवी दिनांक 06.05.25
का प्रथम है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

06/05/25
Not Press
Mishra
व

पत्रावली पैसा हुई वकील प्राप्ति इका उन्हें सुक
गमा। उनके द्वारा प्रोपत्र Not Press किया गया
प्रकरण से संबंधित शबा कठ निरस्तारण हो चुक
है अतः प्रोपत्र 212 RTI का प्रलोषण जिनका
कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रोपत्र खारिज
खारिज किया जाता है तथा दिनांक 10.03.25 को
जारी समगन निरस्त किया जाता है पत्रावली पैसाल
सुमार होकर नंबर से कठ हो तथा सैलमन मूल वाद
है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)